Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 73-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MAY 14, 2026 (VAISAKHA 24, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मई, 2026

संख्या 46/08/2026–5एच0बी0ा.— चूंकि, भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग), अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 508(अ), दिनांक 29 मई, 2018 द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 2018 अधिसूचित किए गए हैं;

और चूंकि, राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 2018 को अंगीकृत करने का विचार किया है;

इसलिए अब, मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा 121 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 2018 निम्नलिखित उपातंरणों सहित अंगीकरण करते हैं, अर्थात्:–

1. मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियम, 2018 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) गैर–सरकारी सदस्य, राज्य प्राधिकरण अथवा कार्य समूहों की बैठकों में शामिल होने के लिए, अपने स्वंय के वाहन या टैक्सी से यात्रा करने के लिए यात्रा भत्ते का हकदार होगा और मील भत्ते की दर आठ रूपए प्रति किलोमीटर होगी अथवा हरियाणा रोडवेज की ए0सी0 बस, जिसमें वोल्वो सेवा सम्मिलित है या डीलक्स बस से यात्रा करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य के किसी भी नगर/शहर, जिसमें चण्डीगढ भी सम्मिलित है, मे तीन सौ रूपए प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता आहरित करेगा। सरकारी सदस्य अपने मूल विभाग से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे:

परन्तु ऐसा भत्ता आहरित करने हेतु आशयित सदस्य वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि उसने उसी यात्रा हेतु किसी अन्य विभाग या संगठन से कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं किया है।"।

2. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) प्रत्येक ऐसी स्थापना निम्नलिखित अनुसार मानसिक स्वास्थ्य स्थापना की बिस्तर क्षमता के आधार पर संगणित डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पंचकूला के पक्ष में भुगतानयोग्य फीस के साथ उक्त नियमों के प्ररूप–ख में अनंतिम पंजीकरण नवीकरण के लिए आवेदन करेंगे:–

(क) पंद्रह बिस्तरों तक या बिना भर्ती सुविधा वाली स्थापना के मामले में दो हजार रूपए;

(ख) पंद्रह से अधिक किन्तु तीस तक बिस्तरों वाली स्थापना के मामले में चार हजार रूपए;

(ग) तीस से अधिक एवं पैंतालीस तक बिस्तरों वाली स्थापना के मामले में छह हजार रूपए;

(घ) पैंतालीस से अधिक बिस्तरों वाली स्थापना के लिए आठ हजार रूपए:

परन्तु लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापना को पंजीकरण फीस, नवीकरण फीस तथा प्रतिलिपि फीस का भुगतान करने हेतु छूट होगी।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"12. पंजीकरण प्रमाण–पत्र की वैधता और नवीकरण– नियम 11 के उप–नियम (3) के अधीन प्रदान किया गया अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र ऐसे प्रदान करने की तिथि से बारह मास की अवधि के लिए वैध होगा और इस प्रमाण–पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन इस प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि समाप्त होने से पूर्व तीस दिन के भीतर प्ररूप–ख में करना होगा तथा यदि इस विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन नहीं किया जाता है, तो संबंधित मानसिक स्वास्थ्य स्थापना, अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पंचकूला, जहां राज्य प्राधिकरण स्थित है, के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से नियम 11 के उप–नियम (2) में पंजीकरण के लिए यथा वर्णित नवीकरण फीस के भुगतान हेतु दायी होगी।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 13 में, "दो हजार" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

डा0 सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 14th May, 2026

No. 46/08/2026-5HBII.— Whereas, the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) *vide* notification No. G.S.R.508 (E), dated the 29th May, 2018 has framed the Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2018;

Whereas, the State Government has considered to adopt the Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2018;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under section 121 of the Mental Healthcare Act, 2017 (Central Act 10 of 2017), the Governor of Haryana hereby adopt the Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2018 from the date of publication of this notification in the Official Gazette with the following modifications, namely:-

1. In the Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2018 (hereinafter called the said rules), in rule 9, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) For attending meetings of the State Authority or working groups, the non-official member shall be entitled to Travelling Allowance for a journey by own vehicle or taxi and the rate of the road mileage shall be eight rupees per kilometer or by Air Conditioned Bus, including Volvo of Haryana Roadways or Deluxe Bus and a Daily Allowance of three hundred rupees per day in any town/city in Haryana, including Chandigarh and the official member shall draw Travelling Allowance and Daily Allowance from their parent department as per their entitlement:

Provided that the member intending to draw such allowance shall submit an undertaking that he has not claimed the travelling and daily allowance from any other department or organization for the same visit.".

2. In the said rules, in rule 11, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Every such establishment shall apply for provisional registration/renewal in Form B of the said rules along with a fee payable to the Chairperson, State Mental Health Authority, Panchkula, by demand draft calculated on the basis of the bed strength of the mental health establishment, as follows:—

(a) two thousand rupees in case of establishments having up to fifteen beds or having no in-patient facility;

(b) four thousand rupees in case of establishments having more than fifteen beds but not more than thirty beds;

(c) six thousand rupees in case of establishments having more than thirty beds but not more than forty-five beds; and

(d) eight thousand rupees for establishments with more than forty-five beds:

Provided that a Public Mental Health Establishment shall be exempted to pay registration fee, renewal fee and duplicate fee.".

3. In the said rules, for rule 12, the following rule shall be substituted, namely:-

"12. Validity and renewal of certificate of registration.- The provisional registration certificate granted under sub-rule (3) of rule 11 shall be valid for a period of twelve months from the date of such grant and an application for renewal of such certificate shall be made in Form B within thirty days before the date of expiry of the period of validity of such certificate and in case application is not made within the specified period, the mental health establishment concerned shall be liable to pay renewal fee as mentioned for registration in sub-rule (2) of rule 11 by way of demand draft in favour of the Chairperson, State Mental Health Authority, Panchkula payable at the place where state authority situated.".

4. In the said rules, in rule 13, for the words "two thousand" the words "one thousand" shall be substituted.

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Health Department.

12629—C.S.—H.G.P., Pkl.